न्यायालय मे श्री मान राजस्व महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म0 प्र0)

II/अपील/शहडोल/भू-रा/2017/1774

द्वारा आज दि. 15-6-17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15.6.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मो0 शमसुद्दीन पिता जलालूद्दीन उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प्र0 — — — — — — — — — — — अपीलार्थी

बनाम

1— मानधाता सिंह पिता इन्द्र बहादुर सिंह मृत वारिसान

1— रघुनंदन सिंह पिता स्व0 मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

2— रतना सिंह पिता स्व0 श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

3— श्रीमती वसुंधरा सिंह पिता स्व0 श्री मानधातासिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0 प0

4— श्रीमती मीरा सिंह पत्नी स्व0 श्री मानधाता सिंह निवासी ग्राम खैरहा तहसील बुढार जिला शहडोल म0

5— म0 प0 शासन — — — — — — — — — — — उत्तरार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 41 मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्च सीमा अधिनियम 1960

अपील विरूद्ध श्री मान अपर कमिश्नर संभाग शहोल के प्रकरण कमॉक 02/बी–90(3) / 2015–2106 आदेश दिनॉक 11/3/2016,28/5/16.

मान्यवर—:

प्रार्थी/ अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर विनय करता है कि—–:

प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम खैरहा तहसील बुढार स्थित आराजी खसरा कमॉक 881, 882, 880, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114/4, रकवा कमशः 1 73, 0 61, 0 72, 2 19, 0 48, 1 29 1 59 2 34 0 28 एकड भूमि अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व कब्जे दखल कि आराजी है जिसे आपत्तिकर्ता ने रजिर्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया है । ग्राम खैरहा तहसील बुढार कि आराजी खसरा कमॉक 881, एवं 882 रकवा 1 73 एवं 0 61

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–अपील/शहडौल/उ.सी.अधि./2017/1771

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.2018	यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 2 बी–90(3)/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–3–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम 1960 की धारा 41 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें सॅशोधन उपरांत आदेश दिनांक 28–4–16 भी जोड़ा गया है। 2/ अपील की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 11–3–16 एंव आदेश दिनांक 28–4–16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि रिस्पा. कमांक 1 से 4 के विरूद्व प्रचलित कृषि सीलिंग प्रकरण में आदेश दिनांक 25–2–16 के संलग्न–ब में म0प्र0शासन के पक्ष में 348–19 एकड़ भूमि छोड़ी गई । शासन के पक्ष में छोड़ी गई भूमि पर धारकों व्दारा 37–03 एकड़ भूमि स्वयं के पक्ष में छोड़े जाना बताया , किन्तु प्रकरण में सॅशोधित नवीन विवरणी अनुसार केवल 18–54 एकड़ भूमि रिस्पा0 ने अपने पक्ष में रखते हुये शेष 18–48 एकड़ भूमि म0प्र0शासन बनाम इन्द्र बहादुर सिंह के कृषि सीलिंग प्रकरण में शासन हित में छोड़ना माना तथा शेष रकबा 18–49 एकड़ म0प्र0 शासन बनाम मान्धन्ता सिंह के खाते में से भूमि चाही गई, जो मान ली गई। इस प्रकार मान्धाता सिंह के खाते में दर्शाए अनुलग्न –ब में रकबा 348.19–17.54=329.65 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश शासन के हित में छोड़े जाना अंकित किया गया। इस प्रकार प्रस्तावित अतिशेष घोषित भूमि का प्रस्तावित रकबा 311–16 एकड़ के बजाय 329–65 एकड़ अतिशेष घोषित होने वाली भूमि का प्रस्तावित रकबा	

311–16 एकड़ के स्थान पर 329–49 एकड़ अधिक हुआ, जिसके आधार पर म0प्र0शासन बनाम इन्द्र बहादुर सिंह के प्रकरण में उल्लेखित भूमि से वापिस हुई भूमि रकबा 18–49 एकड़ तथा पूर्व में अनुलग्न–ब में प्रदान की गई भूमि रकबा 1168–53 एकड़ से बढ़कर 1186–53 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में दर्ज करने का आदेश हुआ है। तद्नुसार अनुलग्न–अ एंव अनुलग्न–ब तथा संशोधित आदेश दिनांक 11–3–16 की प्रति कलेक्टर शहडौल / अनूपपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर / पुष्पराजगढ़ के साथ महाप्रबंधक एसईसीएल सोहागपुर एरिया धनपुरी को भेजे जाने के दिनांक 11–3–16 को आदेश हुये है।

आदेश दिनांक 11–3–16 पारित होने के वाद अनावेदकगण के अभिभाषक ने धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुलग्न–अ एंव अनुलग्न–ब में अंकित भूमियों में ऑशिक सॅशोधन की मांग रखी, जिसके आधार पर आदेश दिनांक 28–4–16 पारित किया गया तथा अनुलग्न अ में सरल कमांक 40 पर ग्राम खैरहा की बताई गई भूमि सर्वे नंबर 1004 रकबा 6–92 एकड़ में से शासन के पक्ष में 1–26 एकड़ भूमि छोड़ते हुये शेष रकबा 5–66 एकड़ भूमि धारक ने स्वयं के पक्ष में रखने तथा प्रकरण कमांक 1 / ब90(3) 2015–15 में छोड़ी गई भूमि अनुलग्न–ब के सरल कमांक 143, 147 तथा 128 में बताई गई खसरा नंबर 402 / 2 का अंश रकबा 0.90 एकड़, 390 का अंश रकबा 0.30 एकड तथा 401 का अंश रकबा 0.06 एकड़ कुल किता 3 कुल रकबा 1–26 एकड़ भूमि अनावेदकगण के हित में रखने की मांग स्वीकार की गई। तद्नुसार मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त होने वाली कुल भूमि रकबा 348–19 एकड़ यथावत् रखते हुये अनावेदक को रकबा 5–66 एकड़ भूमि देना तथा शेष रकबा 1–26 एकड़ भूमि शासन के पक्ष में छोड़े जाने की मांग स्वीकार की गई, जिसमें शासन को प्राप्त होने वाला रकबा 349.19+1-26=349.45 एकड़ यथावत् रखा गया है। भूमिधारकों (रिस्पा.क. 1 से 4) की कृषि सुविधा एंव भूमिधारकों की सन्तुष्टि होने पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक दो—अपील/शहडौल/उ.सी.अधि./2017/1771

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दोनों आदेश पारित हुये है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। 4/ अपीलांट के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि ग्राम खैरहा की भूमि सर्वे कमांक 881, 882, 880, 1109 लगायत 1113 एंव 1114/4 उसके स्वत्व की एंव कब्जे की भूमि है जिसे रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया गया है। मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम् सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत वाद विचारित भूमियॉ अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक से जिस खातेदार के नाम पर दर्ज रही है उन्हीं पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विचार कर एंव हितधारियों की सुनवाई हुई है एंव सुनवाई का अवसर देकर पक्षकारों की सहमति के उपरांत अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 11—3—16 एंव आदेश दिनांक 28—4—16 पारित किये हैं। यदि उक्तांकित भूमि पर आवेदक स्वय् का स्वत्व प्रमाणित करना चाहता है, स्वत्व के मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है अपीलांट सक्षम न्यायालय से स्वत्व संबंधी विवाद का निराकरण कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 11—3—16 एंव आदेश दिनांक 28—4—16 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनांक 11—3—16 एंव आदेश दिनांक 28—4—16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील इसी—स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	